


30/01/26

पडावली पैस डंडा अधिवक्ता प्रार्थी  
 अनुपासित । न्यायालय सभ्य में  
 अधिवक्ता प्रार्थी / प्रार्थी को कलम-2  
 तीन बार काकाके लगई गई  
 कोई खाफिर नहीं हुए ।

प्रार्थी अपने कार्रवाई के जति  
 गंभीर नहीं है ।

कितः प्रार्थी का कार्रवाई  
 कदम खाफिर / कदम पंरवी में  
 खाफिर किया जाना है  
 पडावली केंद्र इतर दीकर  
 दाखिल दकर हो ।

  
 उपखण्ड अधिकारी  
 बाडमेर